


13/5/25

पत्रावली पेश हुई। वादीया व उनके अधिवक्ता अनुपस्थित। वादी अधिवक्ता को प्रतिवादी सं० 2 के पीएफ सम्मन पेश करने व प्रतिवादी सं० 3 के वारिसान की सूची पेश करने हेतु हेतु समुचित अवसर दिये जाने के उपरांत भी पीएफ सम्मन/वारीसान की सूची आदिनांक तक पेश नहीं किये है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि वादी अधिवक्ता उक्त प्रकरण में वाद को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है।

अतः वादी अधिवक्ता द्वारा पीएफ सम्मन/प्रतिवादी सं० 3 के वारीसान की सूची पेश नहीं करने व वादीया व उनके अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने से पत्रावली अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नं० से कम हो।

  
सहायक कलक्टर /  
सिवान (धियेडी)

